

5.8.24

वकील पार्सी उप. । वकील पार्सी द्वारा डिप्टी मजिस्ट्रेट
शम्भूजी शिंदे में अंतर होगा बताया । पार्सी पत्र
में कोई कामचही घोष नहीं है पर पार्सी पत्र
संशोधन किया जाता है पमाबली नंबर से कम होगा
दाखिल रफ्तार हो।

आदेश रफ्तार अलफ सुजाया मय।

↓
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/180